न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०**
राजस्व वाद संख्या : **90/2020**
GCMS NO. : **2020/00137**

–: प्रार्थीगण :–	बनाम	–: अप्रार्थीगण :–
1. दामोदरलाल पुत्र रामचन्द्र 2. रामकरण पुत्र रामचन्द्र 3. रामप्रकाश पुत्र रामचन्द्र 4. देवाराम पुत्र रामचन्द्र 5. मीरा देवी पत्नि बाबूलाल जातियान– माली निवासीगण– जैतारण, तहसील– जैतारण जिला– पाली (राज.)		1. चम्पालाल पुत्र भंवरलाल 2. रतनलाल पुत्र भंवरलाल 3. गणपतलाल पुत्र भंवरलाल 4. हेमाराम पुत्र भंवरलाल 5. नेमाराम पुत्र भंवरलाल 6. रामपाल पुत्र भंवरलाल 7. नाथुराम पुत्र मोहनलाल 8. तेजाराम पुत्र मोहनलाल 9. कंवरीलाल पुत्र मोहनलाल 10. रामेश्वरलाल पुत्र मोहनलाल 11. विद्या देवी पुत्री मोहनलाल 12. रामनारायण पुत्र धिसुराम 13. शंकरलाल पुत्र घेवरलाल 14. श्रीलाल पुत्र घेवरलाल 15. सोहनलाल पुत्र घेवरलाल 16. लाबुराम पुत्र घेवरलाल 17. पन्नालाल पुत्र धुलाराम जातियान– माली निवासीगण– जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली(राज.) 18. तहसीलदार जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज०।

राजस्वप्रार्थना पत्रबाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955

तारीख रजू:–17.07.2020

उपस्थितः–

1. श्री सुरेश चौधरी, प्रार्थीगण।
2. श्री चुतराराम भाटी व श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय :: **दिनॉक:–27/07/2022**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया किसायलान व गैरसायल सं[illegible] व 17 की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि राजस्व मौजा [illegible] हल्का जैतारण, भू अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र जैतारण, तहसील– जैतारण जिला पाली(राजस्थान) में स्थित खसरा नम्बर 587 रकबा 80 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। जिसमें सायलान एवं गैरसायलान का हक हिस्सा व अधिकार है तथा उक्त भूमि सायलान एवं गैरसायलान की पैतृक पुश्तैनी होकर वर्षो पूर्व से अलग अलग बंटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:43:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,

हुई है। जिसकी चालू जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। इस भूमि को प्रार्थना पत्र में आगे सुविधा की दृष्टि से विवादित भूमि के नाम से जाना जायेगा। है विवादित भूमि में सायल संख्या 01 से 04 का 1/2 ये मे से 1/5 या यानि कुल का 1/10वां हिस्सा इसी प्रकार सायलान संख्या 05 का भी 1/2 वे मे से 1/5 वा यानि कुल का 1/10 वा हिस्सा की भूमि आई हुई है। इसी प्रकार गैरसायल संख्या 01 से 05 का 1/10 वा हिस्सा, गैरसायल संख्या 06 से लगायत 11 का भी 1/10 या हिस्सा, इसी प्रकार गैरसायल संख्या 12 का भी 1/10 वा हिस्सा तथा शेष गैरसायल संख्या 13 से लगायत 17 का 1/2 वा हिस्सा की भूमि आई हुई है। इसी हिस्सो माफिक सायलान एवं गैरसायलान वर्षो पूर्व से मौके पर काबिज होकर कारत करते आ रहे है तथा कालान्तरण में इसी विवादित भूमि से होकर एन एच 458 के लिये भूमि आवाप्त की गई जिसमें माफिक हिस्से अनुसार सभी खातेदारो ने आवाती भूमि का मुआवजा तो प्राप्त कर लिया लेकिन मौके पर सायलान के कब्जे कारत की भूमि से ही उक्त एन एच 458 के लिये भूमि अवाप्त की जाने से मौके पर सायलान की भूमि कम हो गई .सायलान की भूमि एन एच 458 के दोनो तरफ स्थित है। गैरसायलान के कब्जे काश्त की भूमि में एन एच 458 के लिये भूमि तो अवाप्त नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने भी माफिक अपने हिस्से अनुसार इस अवाप्ती सुदा भूमि का मुआवजा राशि प्राप्त कर ली है। इस प्रकार से एन एच 458 के लिये अवाप्त की गई भूमि को छोड़कर शेष भूमि में उपर वर्णित हिस्सोनुसार पक्षकारों का हक हिस्सा एवं कब्जा काश्त है। इस प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित हिस्से अनुसार सायलान एवं गैरसायलान का मौके पर कब्जा व काश्त है। उक्त भूमि मौके पर आपसी सहमति से पक्षकारों के बीच पिछले कई वर्षो पूर्व से बंटी हुई है, लेकिन भूमि के बंटवाड़े का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज दर्ज नहीं होकर उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में सामलाती दर्ज है। इस प्रकार से उक्त विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में शामलाति दर्ज होने की वजह से गैरसायलान आये दिन इस भूमि के नाप-चौंप सीमा व माठ को लेकर सायलान से विवाद कर रहे है। जबकि सायलान अपने हक हिस्से एवं कब्जे काश्त की इस भूमि पर काली मिट्टी व देशी खाद आदि डालकर के उसको और अधिक उपयोगी बनाना चाहते है एवं अपने हक हिस्से की के प्रयोजनार्थ माठ पर जाली व तारबंदी भी करना चाहते भूमि की सुरक्षा है, लेकिन गैरसायलान सहमत नहीं हो रहे है। इस वजह से सायलान इस विवादित भूमि के बाबत गैरसायलान से इस संयुक्त और सामलाती रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउडण्स के बंटवाड़ा करना चाह रहे है, लेकिन गैरसायलान इसमें सहमत नहीं हो रहे [illegible] दिनांक 25.06.2020 को सायल ने गैरसायलान से कथन [illegible] के साथ चोप व रास्ता की भूमि को लेकर भविष्य में कोई [illegible] वजह से आप इस भूमि का आपसी सहमति से बंटवाड़ा कर लेवे तथा कोई विवाद नहीं करें, लेकिन गैरसायलान आपसी सहमति से बंटवाड़ा करने से इन्कार हो गये है एवं गैरसायलान ने सायलान को ऐलानिया कथन किया कि वह बंटवाड़ा नही करेगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:43:00 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]खण्ड अधिकारी एवं
[illegible] सहायक कलेक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

इस प्रकार विवादित भूमि सायलान की खातेदारी व कब्जेकाश्त की होकर मौके पर आपसी सहमति से अलग अलग बंटी हुई है। उसके बावजूद भी गैरसायलान विवाद कर रहे है। इस वजह से सायलान अपने हक हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करवाने के वैधानिक अधिकारी है लेकिन गैरसायलान उसमें सहमत नही हो रहे है। जिस पर सायलान के पास इस हेतु यह प्रार्थना पत्र बाबत बाई मिट्स एण्ड दामोदर सोनकीबाउण्डस के विवादित भूमि का बंट्वाड़ा करवाने हेतु पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थना पत्र बाबत बंटवाड़ा का बहक सायलान विरुद्ध गैरसायलान के सादर पेश है। विवादित भूमि सायलान व गैरसायलान के बीच संयुक्त व शामलाती राजस्व रिकार्ड में दर्ज है लेकिन उक्त भूमि पक्षकारों के बीच मौके पर पिछले कई वर्षो से आपसी सहमति से अलग अलग बंटी हुई है एवं इस भूमि के आवागमन के लिये भी रास्ते की जगह भी सामलाती छोड़ी हुई है, लेकिन गैरसायलान सायलान के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में हस्तक्षेप व दखलन्दाजी करते हुये सीमा विवाद कर रहे है तथा सायलान को उनके हक हिस्से से कम भूमि पर रखना चाहते हुये सायलान के हक हिस्से की भूमि गैरसायलान दबा लेना चाह रहे है। इस बाबत दिनांक 25.06.2020 को गैरसायलान ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंट्वाड़ा करने से इंकार करते हुये सायलान को इस खातेदारी भूमि से बेकाबिज करने की ऐलानिया धमकी भी दी है तथा सायलान को उसके कब्जे काश्त भूमि से बेकाबिज कर देने बाबत ऐलानिया कथन भी किया है जिस पर सायलान ने गैरसायलान से समझाईश की लेकिन गैरसायलान के नही मानने से पक्षकारो के बीच भारी विवाद होकर मल्टीपीसीटी अ०फ प्रोसिर्डिंग होने का अदेशा है, साथ ही यदि उक्त गैरसायल जबरदस्ती सायलान की कब्जा सुदा भूमि पर अपना कब्जा कर लेते है तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं है, तब ऐसी विषम परिस्थितियों में सायलान के पास अदालत श्रीमान के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से प्रार्थना पत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश है। समस्त तथ्यों व परिस्थितियों व दस्तावेजात के आधार सायल का प्रथम दृष्टिया बहुत ही मजबूत मामला है कारण कि विवादित भूमि मे से सायल संख्या 01 से 04 का 1/10 वा हिस्सा व सायल संख्या 05 का 1/10 वा हिस्सा की भूमि सायलान की खातेदारी काश्त की शामलाती भूमि है जिसका उपयोग उपभोग एक मात्र सायलान ही करता आ रहे है तथा इस भूमि पर सायलान को हक अधिकार प्राप्त है यदि इस भूमि पर से बिना किसी हक व अधिकार के ही गैरसायलान सायलान को [illegible] लान के कब्जे काश्त में बेकाबिज कर बाधा व अड़चन पैदा करते है [illegible] जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी दखलंदाजी करते है तो सायलान [illegible] भी सायलान के पक्ष में कदर संभव नही हो सकेगी । इसलिए [illegible] सायल विरुद्ध गैरसायलान के होने से यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र [illegible] सायल विरुद्ध गैरसायलान के पेश है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेजात के पेश कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय बहक सायलान विरुद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:43:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

गैरसायलान के इस आशय की जारी फरमावे कि इस प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित विवादित भूमि में सायल संख्या 01 से 04 के अपने 1/10 वे हिस्से व सायल संख्या 05 के अपने 1/10 वे हिस्से की भूमि पर नजरी नक्शे मे दर्शाये अनुसार बतौर खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त करे, काश्त के मुतालिक कार्य करवावे तो उसमें गैरसायलान स्वयं एवं उनके पारिवारिक सदस्य हाली एजेन्ट, रिश्तेदार आदि किसी प्रकार का हस्तक्षेप व दखलअंदाजी नहीं करें, न ही कोई बाधा व अड़चन ही पैदा करें। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय बहक सायलान विरूद्ध गैरसायल के मूल वादपत्र के अन्तिम निस्तारण तक के लिए जारी फरमाया जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण की ओर से वकालतनामा पेश किया किया जो शामिल मिसल है। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 12 एवं 13 से 17 ने जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जो सामिल मिसल किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से .12 ने जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक सही होने से स्वीकार है। उक्त अनवान के वाद में वर्णित भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की पैतृक पुश्तैनी आई हुई है उक्त भूमि का मौके पर बंटवाड़ा लगभग 50 वर्षो से अपने पूर्वजों के समय से किया हुआ है एवं अपने अपने हिस्से माफिक मौके पर काबिज होकर शांति पूर्वक काश्त करते आ रहे है। प्रार्थना पत्र का पद संख्या दो सही है कि मुतनाजा जमीन का अपने हिस्से माफिक प्रार्थीगण जमीन का अपने हिस्से माफिक प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के आपस में वर्षो पूर्व से मौके पर बंटवाड़ा होकर काश्त करते आ रहे है। यह बात भी सही है कि मुतनामा जमीन खसरा नम्बर 587 में से एन0एच0 458 के लिये भूमि अवाप्त की गई। जो सड़क के लिये आवाप्त भूमि 07 बीघा 09 बिस्वा भूमि का जो मुआवजा राशि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सभी अपने अपने हिस्से माफिक प्राप्त कर ली है। प्रार्थनापत्र का पद संख्या तीन यह स्वीकार है कि प्रार्थनापत्र व अप्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त है, मौके पर आपसी सहमति से कब्जा काश्त है मौके पर आपसी सहमति से पक्षकारान के बीच पिछले कई वषो से बंटी हुई है लेकिन राजस्व रेकर्ड में माफिक हिस्सा तरमीम नहीं होने से संयुक्त बताई हुई है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के आपस में भूमि के नाप चौंप, सीमा, माठ को लेकर कोई किसी प्रकार विवाद नहीं है। पक्षकारान अपने अपने हिस्से माफिक काबिज काश्त है सभी हिस्सेदारान की मौके पर बंटवाड़ा होकर कई वर्षो पहले तारबन्दी की हुई है, प्रार्थीगण ने उक्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से बंटवाड़ा करनें का लिखा जो सरासर [illegible] प्रार्थीगण ने अपने वाद में स्वीकार किया है कि मौके कई वर्षो पहले [illegible] किया हुआ है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 12 इस बात से सहमत है कि [illegible] कब्जा व बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड दर्ज किया जावें। दिनांक 25.06.[illegible]020 को प्रार्थीगण ने मुतनाजा भूमि का बंटवाड़ा करवाने का नहीं कहा और न प्रतिवादी संख्या 1 से 12 ने राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा करवाने का मना किया हो प्रार्थीगण ने अपने वादपत्र में

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
[illegible]नारण, जिला-पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:43:00 IST
Reason: SelfAttested

बार बार लिखा है कि मुतनाजा भूमि पर आपसी सहमति से बंटवाड़ा कर मौके पर बंटी हुई है। इसलिये अब मुतनाजा भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् से बंटवाड़ा करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थीगण ने उक्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् का वाद/प्रार्थनापत्र गलत पेश किया है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, मौके पर 50 वर्षो से अधिक समय से मौके पर आपसी सहमति से बंटवाड़ा किया हुआ है एवं अपने अपने हिस्से माफिक मौके पर काबिज है। इसलिये प्रथम दृष्टया मामला, प्रार्थीगण के बनिस्पत् अप्रार्थीगण के पक्ष में बहुत ही मजबुत है व सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है। आज दिन मौके पर अपने अपने हिस्से पर फसल बोई हुई है। इसलिये प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति होने का ही प्रश्न पैदा नहीं होता है। प्रार्थीगण ने केवल मात्र प्रार्थनापत्र पेश करनें की गरज से सभी तथ्य गलत लिखे है। मौके पर आपस में किसी प्रकार का विवाद नहीं हैं। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जाना आवश्यक है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र मय शपथ पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र सारहीन होने से मय खर्चे खारिज फरमावे।

अप्रार्थीगण संख्या 13 से 17 ने जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थना पत्र का पद संख्या एक का जबाब है कि सरहद मौजा जैतारण पटवार हलक जैतारण में खसरा नम्बर- 587 रकबा 88 बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई थी जिसमें अप्रार्थी संख्या- 13 से 17 का 1/2 हिस्सा व प्रार्थीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 12 का 1/2 हिस्सा आया हुआ है उक्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की पैतृक पुश्तेनी आई हुई है उक्त भूमि का मौके पर बंटवाड़ा लगभग 50 वर्षो से अपने पूर्वजो के समय से किया हुआ है एव इसी माफिक मौके पर काबिज है मुतनाजा जमीन का मौके का नजरी नक्शा बनाकर जबाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया जा रहा है जिसे जबाब प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। प्रार्थना पत्र का पद संख्या- दो सही है कि प्रार्थीगण ने अपने वाद में हिस्सा लिखा है जो सही है अप्रार्थी संख्या आतावली 13 से 17 का 1/2 हिस्सा आया हुआ है यह बात सही है कि मुतनाजा जमीन का अपने हिस्से माफिक प्रार्थीगण जमीन का अपने हिस्से माफिक प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के आपस में वर्षो पूर्व से मौके पर बंटवाड़ा होकर काश्त करते आ रहे है यह बात भी सही है कि मुतनाजा जमीन खसरा नम्बर- 587 में से एन. एच. 458 के लिए भूमि अवाप्त की गई, लेकिन प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 से 12 की 1/2 हिस्सा में से सड़क के लिए भूमि अवाप्त की गई मौके पर प्रार्थीगणव अप्रार्थी संख्या 01 से 12 के हिस्से की जमीन रोड़ के पास आई हुई होने से इन्ही के हिस्से में से भूमि अवाप्त की गई। अवाप्त भूमि का मुआवजा सभी खातेदारान ने प्राप्त किया, लेकिन अप्रार्थी संख्या 13 से 17 मुआवजा की राशि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या- 01 से 12 को धामी यानि लेने के लिए कहा लेकिन मुआवजा राशि प्राप्त करने से मना कर दिया। खसरा नम्बर- 587 में से 07 बीघा 09 बिस्वा सड़क के लिए अवाप्त की गई। जिसमें से 1/2 हिस्से की

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:43:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

राशि अप्रार्थी संख्या- 13 से 17 ने प्राप्त की जो राशि अप्रार्थी संख्या- 13 से 17 ने प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या- 01 से 12 को लेने के लिए कहा लेकिन इन्होने लेने से इन्कार कर दिया। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या- 1 से 12 के 1/2 हिस्से की जमीन पर तारबन्दी की हुई है अप्रार्थी संख्या- 13 से 17 के हिस्से के भी तारबन्दी की हुई है प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर- 587 रकबा 80 बीघा 11 बिस्वा का ही बंटवाड़ा का प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि अप्रार्थी संख्या-13 से 17 के कब्जे में 88 बीघा का 1/2 हिस्सा मौके पर काबिज काश्त है सड़क के लिए अवाप्त भूमि 07 बीघा 09 बिस्वा भूमि का जो मुआवजा राशि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 से 12 लेने से इन्कार कर रहे है जो गलत हैं। प्रार्थना पत्र का पद संख्या- तीन यह स्वीकार है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त है मौके पर आपसी सहमति से कब्जा काश्त है मौके पर आपसी सहमति से पक्षकारान के बीच पिछले कई वर्षो से बंटी हुई है लेकिन राजस्व क में माफिक हिस्सा तरमीम नहीं होने से संयुक्त बताई हुई है प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के आपस में भूमि के नाप चोंप, सीमा, माठ को लेकर कोई किसी प्रकार विवाद नहीं है पक्षकारान अपने अपने हिस्से माफिक काबिज है अप्रार्थी संख्या- 13 से 17 के 1/2 हिस्से के अनुसार कब्जा काश्त अनुसार बंटवाड़ा किया जाये तो अप्रार्थी संख्या- 13 से 17 को कोई आपति नहीं है प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 से 12 अपने हिस्से की जमीन में देशी खाद, काली मिटी डालकर उपजाउ बनाना चाहे तो अप्रार्थी संख्या- 13 से 17 को कोई आपति नहीं है सभी हिस्सेदारान की मौके पर बंटवाड़ा होकर कई वर्षो पहले तारबन्दी की हुई है प्रार्थीगण ने उक्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस से बंटवाड़ा करने का लिखा जो सरासर गलत है जबकि प्रार्थीगण ने अपने वाद में स्वीकार किया कि मौके पर कई वर्षो पहले बंटवाड़ा किया हुआ है अप्रार्थी संख्या- 13 से 17 इस बात से सहमत है कि मौके पर कब्जा व बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावे दिनांक- 25-06-2020 को प्रार्थीगणने मुतनाजा भूमि का बंटवाड़ा करवाने का नहीं कहा और न अप्रार्थी संख्या 13 से 17 बने राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा करवाने का मंना किया हो प्रार्थीगण अपने वाद/प्रार्थनापत्र में में बार बार लिखा है कि मुतनाजा भूमि का मौके पर आपसी सहमति से बंटवाड़ा कर मौके पर बंटी हुई है इसलिए अब मुतनाजा भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस से बंटवाड़ा करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं। प्रार्थीगणने उक्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस से बंटवाड़ा का प्रार्थना पत्र गलत पेश किया हैं। प्रार्थना पत्र का पद संख्या चार का जवाब है कि मुतनाजा भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मौके पर अलग अलग बंटवाड़ा करके कब्जा काश्त अपने अपने हिस्से अनुसार करते आ रहे है केवल मात्र राजस्व रेकर्ड में तरमीम होना बाकी है प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के अपने अपने हिस्से की जमीन [illegible] जमीन में हरे रास्ता मौके पर कायम है कोई किसी प्रकार का विवाद मौके पर नहीं है। मौके पर सभी पक्षकारान के हिस्से अनुसार बराबर जमीन आई हुई है प्रार्थीगण के हिस्से की जमीन पर अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा करने का लिखा जो सरासर गलत

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:43:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

हैं। अप्रार्थी संख्या– 13 से 17 ने दिनांक 25-06-2020 को प्रार्थीगण को बेकाबिज करने की कभी धमकी नहीं दी प्रार्थना पत्र करने की गरज से झूठा लिखा है पक्षकारान के आपस में कोई किसी प्रकार विवाद नहीं है केवल मात्र सड़क के लिए अवाप्त भूमि का विवाद करते है अवाप्त भूमि का 1/2 हिस्सा का अप्रार्थी संख्या– 13 से 17 मुआवजा राशि देने के लिए हर वक्त तैयार व तत्पर इन्कार करते है। लेकिन प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या– 01 से 12 मुआवजा राशि लेने से उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है लेकिन मौके पर 50 वर्षो से अधिक समय से मौके पर आपसी सहमति से बंटवाड़ा किया हुआ है एवं अपने हिस्से माफिक मौके पर काबिज है। इसलिए प्रथम दृष्टया केस प्रार्थीगण के बनिस्पत अप्रार्थीगण के पक्ष में बहुत ही मजबूत है वं सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है आज दिन मौके पर अपने अपने हिस्से पर फसल बोई हुई है इसलिए प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है प्रार्थीगण ने केवल मात्र दावा/प्रार्थना पत्र पेश करने की गरज से सभी तथ्य गलत लिखे है मौके पर आपस में किसी प्रकार का विवाद नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मय खर्चे खारिज फरमाया जावें। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से मय खर्चे खारिज फरमाया जावें।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः–

(01) प्रथम दृष्ट्या मामला :– वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादपत्र प्रस्तुत कर हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा चाहते है लेकिन अप्रार्थीगण इंकार कर रहे है तथा अप्रार्थीगण मौके पर पूर्व से बंटी हुई भूमि में दखलन्दाजी कर रहे है।

अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी के कथनो का खण्डन करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी हिस्सेनुसार वर्षो से मौके पर बंटी हुई है तथा खातेदार इसी अनुसार काबिज है।

चूंकि उभयपक्ष वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित सहखातेदार है तथा प्रार्थीगण ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही कर पाए है जिससे यह साबित हो कि प्रथम दृष्टया मामला किस प्रकार प्रार्थीगण के [illegible] में निहित है। अतः यह बिन्दू भलीभांति साबित नही होने से प्रार्थी के [illegible] किया जाता है।

(02) सुविधा का संतुलन व अपू[illegible] प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरुद्ध निर्णित हुआ हैं, साथ ही वादग्रस्त आराजी उभयपक्ष की अभिलिखित अविभाजित सहखातेदारी भूमि है जिसमें अपने हक हिस्से तक सुविधा का संतुलन प्रत्येक सहखातेदार के पक्ष में निहित माना जाता है। अतः केवल प्रार्थी के पक्ष में ही

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:43:00 IST
Reason: SelfAttested

सुविधा का संतुलन निहित होना नही माना जा सकता। इसी प्रकार अप्रार्थीगण अभिलिखित सहखातेदार होने से केवल इन्हे अस्थाई निषेधाज्ञा से निरुद्ध करने से इन्हे खातेदार के प्राथमिक अधिकारो के उपभोग से वंचित होना पड़ेगा, साथ ही प्रार्थी यह साबित नही कर पाया है कि यदि प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो उसे किस प्रकार अपूर्णीय क्षति होगी। अतः उपर्युक्त दोनो बिन्दू भलीभांति साबित नही होने से प्रार्थी के विरुद्ध निर्णित किए जाते है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी प्रार्थना–पत्र साबित करनें में पूर्णतया असफल रहा हैं, अतः प्रार्थना–पत्र अस्वीकार/खारिज किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली–भाँति साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 27/07/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:43:00 IST
Reason: SelfAttested